न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 12/2019 प्रार्थना पत्र

तुलसीराम पिता गोपाल डांगी, आयु 65 साल, निवासी बडोली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 03.03.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा भट्ट कोटडी की खसरा नम्बर 892/207 रकबा 0. 5000 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 167 व नये 71 है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी शांतिपूर्ण ढंग से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता गोपाल के बाद नामान्तरकरण खोला गया जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम तुलछा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का रेकार्डेड नाम तुलसीराम डांगी है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम तुलसीराम डांगी है परन्तु राजस्व रेकार्ड में तुलछा दर्ज हो गया है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए प्रार्थी का नाम तुलछा के बजाय तुलसीराम डांगी दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर पटवार हल्का का पर्चा मौका और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया की गांव बडोली माधोसिंह में तुलछा एवं तुलसीराम एक ही व्यक्ति के नाम होकर अलग व्यक्ति नहीं है। अतः राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं राशनकार्ड की छायाप्रतियों में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पिता गोपाल डांगी अंकित है जबकि ग्राम भट्ट कोटडी की खाता संख्या 71 की आराजीयात में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम तुलछा पिता गोपाल डांगी दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड में संशोधन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करते हुए प्रार्थी का नाम तुलछा के बजाय तुलसीराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भट्ट कोटडी की खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम तुलछा पिता गोपाल डांगी, सा. बड़ोली माधोसिंह के स्थान पर तुलसीराम पिता गोपाल डांगी, सा. बडोली माधोसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:46:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: